क्रम-संख्या—540

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 891

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 23 सितम्बर, 1994

आश्विन 1, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या-1466/सत्रह-वि-1-1 (क) 17-1994

लखनऊ, 23 सितम्बर, 1994

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 पर दिनांक 16 सितम्बर, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1994)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

अधिनियम संख्या 16 सन् 1908 में नयी धारा 6-क का बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्---

"6-क--राज्य सरकार, आदेश द्वारा रजिस्ट्रार या आदेश में विनिर्दिष्ट किन्हीं दो या अपर अधिक रजिस्ट्रारों की सहायता करने के लिये किसी लोक आफिसर रजिस्ट्रार को अपर रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकती है और ऐसे अपर रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत कर सकती है।"

धारा 28 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 28 में,--

(क) शब्द "वह सब सम्पत्ति या उसका कोई भाग" के स्थान पर शब्द "वह सम्पत्ति" रख दिये जायेंगे,

(ख) निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात :---

"परन्तु पंचाट, विनिमय, दान, बन्धक, विभाजन, व्यवस्थापन और न्यास का दस्तावेज, यहां तक ऐसी दस्तावेज स्थावर सम्पत्ति पर प्रभाव डालती है, उस उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण के लिये उपस्थापित किया जायेगा जिसके, उप जिले में वह सब सम्पत्ति या उसका अधिकांश भाग या आधा भाग स्थित है, जिससे ऐसी दस्तावेज सम्बन्धित है।"

धारा 30 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) निकाल दी जायगी।

नयी धारा 32-ख का बढ़ाया जाना

5--मूल अधिनियम की धारा 32-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्---

"32-ख (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे क्षेत्रों में, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायं, हर दस्तावेज सही प्रतियां का पटलीकरण और धारा 19 में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज के अनुवाद के (लैमिनेशन) साथ जिसे रजिस्ट्रीकरण के लिये उपस्थापित किया जाय, उसकी सही प्रति उपस्थापित की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रति---

(क) कार्बन प्रति नहीं होगी,

(ख) ऐसे आकार के कागज पर, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, केवल एक ओर स्वच्छ और सुपाठ्य रूप से मुद्रित, अश्य मुद्रित (लिथोग्राफड) टंकित या अन्यथा तैयार की गई होगी,

(ग) में धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित रीति से यह घोषणा होगी कि वह, यथास्थिति, दस्तावेज या अनुवाद की सही प्रति है।

(3) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर, रजिस्ट्रीकरण के लिये उसे उपस्थापित किया गया किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करेगा, जब तक कि ऐसे दस्तावेज के साथ उपधारा (1) में यथा उपबन्धित उसकी सही प्रति न हो।

(4) प्रति---

(क) का मिलान और सत्यापन ऐसे पदधारी द्वारा किया जायगा जैसा रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर द्वारा निदेश दिया जाय,

(ख) अलग-अलग पटलीकृत और जिल्दबन्द की जायगी और उसे ऐसी रीति से जैसी धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाय, स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(5) ऐसे क्षेत्रों में, जो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किये गये हों, धारा 32-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे :

परन्तु उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पूर्व जो फोटोस्टेट प्रति दाखिल की गयी हो और विनियोजित पुस्तक में उसकी नकल न की गयी हो, इस धारा के प्रयोजनों के लिये सही प्रति समझी जायगी और इस धारा में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पटलीकृत की जायगी;

परन्तु यह और कि यदि पहले से दाखिल की गयी फोटोस्टेट प्रति अस्पष्ट या अन्यथा अपठनीय हो तो रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर, रजिस्ट्रार के पूर्वानुमोदन से सम्बन्धित पक्ष से यह अपेक्षा करेगा कि वह पटलीकरण के लिये उसकी प्रति तैयार करने के लिए दस्तावेज उसे दे दे और यदि सम्बन्धित पक्ष उसको यह सूचित करता है कि दस्तावेज खो गया है या नष्ट हो गया है तो रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपलब्ध फोटोस्टेट प्रति की विनियोजित पुस्तक में नकल की जायगी ।

(6) जहां इस धारा के उपबन्ध लागू होते हैं वहां नीचे उल्लिखित धाराओं को निम्नलिखित प्रकार से उपान्तरित समझा जायगा :—

(क) धारा 52 में, उपधारा (1) में, —

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "ऐसी हर दस्तावेज" के पश्चात् शब्द "और उसके साथ उसकी सही प्रति" बढ़ा दिये जायेंगे,

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ग) धारा 62 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुय, हर सही प्रति का, रजिस्ट्रीकरण के लिये ग्रहण किये गये दस्तावेज से, अनावश्यक विलम्ब के बिना, सत्यापन किया जायेगा, उसे पटलीकृत किया जायगा और उसे रजिस्ट्रीकरण के लिये ग्रहण किये गये दस्तावेज के लिये विनियोजित पुस्तक में स्थायी रूप से ग्रहण के क्रमानुसार रखने के लिए और जिल्दबन्दी के लिये समुचित पुस्तक में रखा जायेगा "।

(ख) धारा 55 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(7) इस धारा के अधीन तैयार की गयी अनुक्रमणिकाओं (इन्डेक्सेज) को ऐसी रीति से पटलीकृत और जिल्दबन्द किया जायगा जैसी धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाय ।"

(ग) धारा 58 में, उपधारा (1) में, शब्द "रजिस्ट्रीकरण के लिये गृहीत हर दस्तावेज" के पश्चात् शब्द "और उसकी सही प्रति" बढ़ा दिये जायेंगे,

(घ) धारा 60 में, उपधारा (1) में, शब्द "उस दस्तावेज की नकल की गयी है" के स्थान पर शब्द "उसकी पटलीकृत सही प्रति जिल्दबन्द की गयी है और रखी गयी है" रख दिये जायेंगे,

(ङ) धारा 62 में, उपधारा (1) में, शब्द "तब वह अनुवाद उसके मूल की प्रकृति वाली दस्तावेजों के रजिस्टर में उतार लिया जायेगा" के स्थान पर शब्द "तब अनुवाद की सही प्रति पटलीकृत की जायेगी और उसके मूल की प्रकृति वाली दस्तावेजों के रजिस्टर में जिल्दबन्द की जायेगी और रखी जायेगी", रख दिये जायेंगे,

(च) धारा 69 में, खण्ड (जज-2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(जज-3) उस रीति का जिसमें दस्तावेज की और धारा 19 के अधीन अनुवाद की सही प्रति तैयार की जायगी और धारा 32-ख की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित घोषणा के प्रारूप का विनियमन करने वाले,

(जज-4) सही प्रतियों का पटलीकरण करने की रीति और प्रक्रिया, पुस्तकें, जिनमें वे अभिलेख के लिये रखी जायगी, ऐसे अभिलेख को रखने और उनका परिरक्षण करने, पटलीकरण के लिये लाइसेन्स देने और उससे सम्बन्धित विषयों को जिसके अन्तर्गत प्रतियों का पटलीकरण करने के लिये फीस की दर और लाइसेंसधारियों के लिये बैठने का प्रबन्ध भी है, का विनियमन करने वाले",

8—मूल अधिनियम की धारा 67 निकाल दी जायगी । धारा 67 का निकाला जाना

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव ।

No. 1466 (2)/XVII-V-1—1(KA) 17-1994

Dated Lucknow, September 23, 1994

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Registrikaran (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on September 16, 1994 :

THE REGISTRATION (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1994

(U. P. Act no. 27 of 1994)

[As passed by the U. P. Legislature]

An

ACT

further to amend the Registration Act, 1908 in its application to Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1994.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Insertion of new section 6-A in Act no. 16 of 1908

2. *After* section 6 of the Registration Act, 1908 as amended in its application in Uttar Pradesh, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Additional Registrar

"6-A. The State Government may, by order, also appoint any public officer as an Additional Registrar, to assist the Registrar, or any two or more Registrars, specified in the order and may authorise such Additional Registrars to exercise and perform all or any of the powers and duties of the Registrar under this Act."

Amendment of section 28

3. In section 28 of the principal Act,—

(*a*) the words "or some portion" shall be *omitted* ;

(b) the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided that the document of award, exchange, gift, mortgage, partition, settlement and trust in so far as such document affects immovable property shall be presented for registration in the office of a Sub-Registrar within whose sub-district the whole or major portion or half protion of the property to which such document relates is situate."

Amendment of section 30

4. In section 30 of the principal Act sub-section (2) shall be *omitted*.

Insertion of new section 32-B

5. *After* section 32-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely—

Lamination of true copies

"32-B. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, in such areas as may be notified by the State Government, every document and the translation of the document referred to in section 19, presented for registration shall be accompanied by a true copy thereof ;

(2) The copy referred to in sub-section (1) shall—

(*a*) not be a carbon copy ;

(*b*) be neatly and legibly printed, lithorgraphed, type-written or otherwise prepared on only one side of the paper of such specification as may be notified by the State Government ;

(*c*) contain a declaration in the manner prescribed by rules under section 69 that the same is a true copy of the document or the translation, as the case may be.

(3) The registering officer shall refuse to register any document presented to him for registration unless such document is accompanied by a true copy thereof as provided in sub-section (1).

(4) The copy shall—

(*a*) be compared and verified by such official as may be directed by ragistering officer ;

(b) be separately laminated, bound and permanently kept in such manner as may be prescribed by rules under section 69.

(5) In such areas as have been notified under sub-section (1), the provisions of section 32-A shall cease to apply :

Provided that a photostat copy filed before the notification under sub-section (1) is issued and not copied in the appropriate book shall be deemed to be a true copy for the purposes of this section and shall be laminated in accordance with the procedure laid down in this section :

Provided further that if the photostat copy already filed is dim or has otherwise become illegible, the registering officer shall, with the prior approval of the Registrar, require the party concerned to deliver the document to him for getting its copy prepared for lamination, and if the party concerned informs him that the document has been lost or destroyed, the photostat copy available in the registering office shall be copied in the appropriate book.

(6) Where the provisions of this section apply, the sections mentioned below shall be deemed to be modified as follows :—

(*a*) in section 52, in sub-section (1),—

(*i*) in clause (*a*), *after* the words "every such document" the words "alongwith the true copy thereof" shall be *inserted* ;

(*ii*) *for* clause (*c*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*c*) subject to the provisions contained in section 62, every true copy shall, without unnecessary delay be verified from the document admitted to registration, be laminated and placed in the proper book for being bound and kept permanently in the book appropriate for the document admitted to registration according to the order of its admission."

(*b*) in section 55, *after* sub-section (6), the following sub-section shall be *inserted*, namely—

"(7) The indexes prepared under this section shall be laminated and bound in such manner as may be prescribed by rules under section 69."

(*c*) in section 58, in sub-section (1), *after* the words "admitted to registration" the words "and true copy thereof" shall be *inserted* ;

(*d*) in section 60, in sub-section (1), *for* the words "the document has been copied" the words "the laminated true copy thereof has been bound and kept" shall be *substituted* ;

(*e*) in section 62, in sub-section (1), *for* the words "the translation shall be transcribed" the words "the true copy of the translation shall be laminated, bound and kept" shall be *substituted* ;

(*f*) in section 69, *after* clause (hh-2), the following clauses shall be *inserted*, namely—

"(*hh*-3) regulating the manner in which the true copy of the document and of the translation under section 19 shall be prepared and the form of declaration required under sub-section (2) of section 32-B ;

(*hh*-4) regulating the manner and procedure for lamination of true copies, the books in which they shall be kept for record, keeping such records and preservation thereof, grant of licence for lamination and matters connected therewith including the rate of fees for laminating the copies, and seating arrangement for the licensees ;"

Ommission of section 67

6. Section 67 of the principal Act shall be *omitted*.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 156 सा० विधा०--(1767)-1994--850 (मेक०)।